



## गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छोगा)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)

क्र. 285 / भंडार / 2012

निविदा सूचना

बिलासपुर, दिनांक .10.07.2012

विश्वविद्यालय में हाउस किपिंग/साफ सफाई कार्य हेतु मुहरबंद निविदा रजिस्टर्ड पोर्स्ट/स्पीड पोस्ट से दिनांक 09/08/2012 अपरांह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी एवं शर्तें विश्वविद्यालय की भंडार शाखा से कार्यालयीन समय में एवं वेब साइट [www.ggu.ac.in](http://www.ggu.ac.in) से प्राप्त की जा सकती है।

आदेशानुसार  
कुलसचिव



निविदा सूचना क्र. 285 / भंडार / 2012 दिनांक 10.07.2012

### निविदा प्रपत्र

कार्य का नाम  
हाउस कीपिंग / साफ-सफाई

निविदा प्रपत्र विक्रय की तिथि दिनांक 11.07.2012 से दिनांक 08.08.2012 समय 3.00 बजे तक  
(कार्यालयीन अवधि में )

**निविदा प्रपत्र मूल्य :— 500 / — (पांच सौ रुपये मात्र)**

विश्वविद्यालय चालान या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से "कुलसचिव गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छोगो) के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से  
(निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय के वेब साइट [www.ggu.ac.in](http://www.ggu.ac.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है, परंतु ऐसे डाउनलोड निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकर्ता को निविदा जमा करते समय कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के नाम से प्रपत्र मूल्य की राशि 500.00 का बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा।)

**निविदा के साथ अमानत राशि — रु. 75,000 / — (पचहत्तर हजार रु. मात्र)**

(कुल सचिव गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के नाम देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा)

**निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 09.08.2012 एवं समय 3.00 बजे तक**

**निविदा प्रपत्र खोले जाने की तिथि दिनांक 09.08.2012 एवं समय 4.00 बजे तक**

**स्थान :** प्रशासनिक भवन, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छोगो) विस्तृत जानकारी एवं शर्ते हेतु विश्वविद्यालय की भंडार शाखा से कार्यालयीन समय में एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट [www.ggu.ac.in](http://www.ggu.ac.in) पर प्राप्त की जा सकती है।

निविदा कर्ता का नाम :— .....

(कृपया निविदाकर्ता, निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर सील के साथ हस्ताक्षर अवश्य करें)



## GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)

### पूर्व योग्यता जांच सूची

सफाई कार्य हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्यतः निम्न क्रमानुसार प्रस्तुत किया जावे –

क्र.	विवरण	हाँ	नहीं	पू.क्र.
1.	PAN			
2.	जीवित लेबर लायर्सेंस प्रमाण—पत्र			
3.	सालवेन्सी प्रमाण पत्र (न्यूनतम रु. 10 लाख)			
4.	सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन			
5.	भविष्य निधि प्रमाण—पत्र कोड सहित			
6.	फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र			
7.	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम (कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें)			
8.	एजेन्सी की वार्षिक टर्न ओवर पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष रहने की सी.ए. से प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय पत्रक।			
9.	पिछले तीन वित्तीय वर्ष की आयकर रिटर्न कापी			
10.	पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम माह तक ई.पी.एफ. एवं सर्विस टेक्स जमा की चालान की प्रति संलग्न करें।			
11.	वर्कमेन कम्पनसेशन पालीसी की छायाप्रति			
12.	(अ) अमानत हेतु निर्धारित राशि की डिमांड ड्राफ्ट, जो कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ0ग0) के नाम से देय हो संलग्न की जाये।			
13.	दर अनुसूचियां			
14.	पिछले 3 सालों में फर्म के द्वारा कम से कम ऐसे 10 कार्य किये गये हों जो शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्था में हो तथा प्रत्येक कार्य की निविदा राशि न्यूनतम 10.00 लाखकी हो।			
15.	अनुभव प्रमाण पत्र			
16.	संबंधित ISO Certificate			

टीफः— निविदा के साथ प्रस्तुत की जाने वाली प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिये। बिना सत्यापन दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होंगें।



## स्वच्छता व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र

प्रति,

कुलसचिव,  
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,  
बिलासपुर (छ.ग.)

महोदय,

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में स्वच्छता व्यवस्था हेतु बुलाई गई निविदा .....  
..... समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। इस निविदा के संदर्भ में मेरा आवेदन प्रस्तुत है तथा मैं वचन देता हूँ कि यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं विश्वविद्यालय द्वारा इस निविदा प्रपत्र में तथा संदर्भित निविदा विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित स्वच्छता ठेके की समस्त शर्तों का पालन करते हुए, स्वच्छता ठेके का कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा अमानत .....  
..... का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक ..... जो .....  
..... बैंक का है तथा जो कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)  
को देय हैं, संलग्न कर रहा हूँ।

उक्त संदर्भ में मेरे/हमारी फर्म संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :—

01. निविदाकर्ता / फर्म / एजेन्सी का नाम एवं पूर्ण पता :-  
.....  
.....  
.....

02. पंजीयन क्र0 एवं प्रमाण पत्र  
.....  
.....  
.....

03. यदि कोई पार्टनर हो, तो उसका नाम एवं पता :-  
यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म है तो पंजीयन प्रमाण पत्र एवं भागिता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाये। यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म नहीं है तो भागिता पत्र की नोटरी से सत्यापित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जाये।  
.....  
.....  
.....

04. पूर्व कार्यों के अनुभव का विवरण संबंधित संस्थान :-  
के नाम—पते एवं परफॉर्मेन्स रिपोर्ट सहित देवें  
(अलग शीट पर विवरण संलग्न करें)  
.....  
.....  
.....

05. वर्तमान में फर्म की ठेकेदारी के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता कर्मियों की संख्या  
.....

06. वर्तमान में जहाँ कार्य चल रहा हो, उस संस्थान का नाम व पता (समर्थन में पत्र / आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे)।  
.....  
.....

07. स्वच्छता टेके हेतु जीवित लेबर लायसेंस का विवरण (लायसेंस के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे)। :- .....

08. भविष्य निधि कोड नं. (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे)। :- .....

09. सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे)। :- .....

10. साल्वेन्सी सर्टिफिकेट :- .....

11. पेन नंबर प्रमाण पत्र (छायाप्रति संलग्न करें) :- .....

12. वर्कमेन कम्पनसेशन पॉलीसी की छायाप्रति

13. वार्षिक टर्नओवर की कॉपी (सी.ए.द्वारा प्रमाणित)

14. पिछले तीन वर्ष के आयकर रिटर्न की कापी

15. अमानत राशि हेतु डी.डी.

16. संबंधित ISO Certificate

मैं वचन देता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि प्रदान की गई जानकारी असत्य पायी जाती है तो किसी भी समय विविध द्वारा ठेका निरस्त करने, तथा मैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित / निर्णीत जुर्माना भरने के लिये सहमत हूँ।

### दिनॉक :-

आवेदक / फर्म का नाम एवं पता सील सहित

टेलीफोन नंबर— .....

मोबाइल नंबर— .....

ई—मेल एड्रेस— .....



## **GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)**

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)

### **स्वच्छता व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र**

#### **निविदा की विशेष 'कर्ते' :-**

01. निविदा तीन पृथक—पृथक लिफाफे में अर्थात प्रथम लिफाफे में प्री—क्वालीफिकेशन, द्वितीय लिफाफे में अमानत राशि तथा तृतीय लिफाफे में दर अनुसूची से संबंधित दस्तावेज तैयार कर उक्त लिफाफों के ऊपर संबंधित विषय अंकित करते हुये तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफों में सील बंद कर रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट द्वारा “कुल सचिव गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ0ग0” को भेजी जाये, उपरोक्तानुसार प्रेषित की गयी निविदा ही मान्य की जावेगी। लिफाफे के ऊपर निविदा क्रमांक एवं दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा।
02. केवल वही एजेंसी अथवा निविदाकार की निविदा मान्य की जायेगी, जो पृष्ठ क्रमांक 01 अनुसार पात्रता रखते हो तथा जिन्होंने पात्रता से संबंधित सारे प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न की हो।
03. अमानत राशि एवं आवश्यक विवरण जो कि विश्वविद्यालय द्वारा चाहा गया है, संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति पर निविदायें निरस्त मानी जावेगी।
04. निविदा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि **09.08.2012** अपराह्न **3.00** बजे तक पंजीकृत / स्पीड पोस्ट से प्राप्त निविदायें उसी दिन विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन सभा कक्ष में 4.00 बजे अपराह्न खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि, लिखित प्राधिकार होने पर उपस्थित हो सकते हैं।
05. आश्यकतानुसार निविदाकर्ताओं से निगोशिएशन कर दरें एवं अन्य शर्तें निर्धारित करने का विश्वविद्यालय का अधिकार सुरक्षित होगा, निगोशिएशन की तिथि विश्वविद्यालय की सुविधानुसार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जायेगी।
06. विश्वविद्यालय को किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा स्वीकृत न करने अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
07. ऐसे निविदाकर्ता जो कि निविदा में विश्वविद्यालय की निर्धारित शर्तों को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे, उन्हें निगोशिएशन की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकेगी।
08. ऐसे निविदाएँ जो सशर्त प्रस्तुत की गई हैं, निरस्त की जा सकेगी।
09. यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा सफाई ठेके का प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित कराने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है, तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
10. निविदा के साथ अमानत की राशि रु. 75,000/- (पचहत्तर हजार) जमा करना अनिवार्य है। यह राशि निविदा स्वीकृत होने की दशा में प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी। अमानत राशि कुलसचिव / रजिस्ट्रार, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) के नाम देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देय होगी।

11. ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदायें विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत की जाती है, उनकी अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एवं एक माह के अंदर लौटाई जा सकेगी।
12. निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित की सफाई सुपरवाइजर/ कर्मचारियों आदि से संपर्क के साधन विठ्ठि के पास हो।
13. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में भरे गये रेट राज्य एवं केन्द्र सरकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये होना चाहिये।
14. निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों को उचित यूनीफार्म एवं फोटो पहचान पत्र प्रदाय करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों का सही ड्रेस कोड बरकरार रहे।
15. निविदाकार निविदा भरने के पूर्व स्वयं के ब्यय से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय परिसर का अवलोकन कर लें, जिससे भविष्य में किये जाने वाले कार्य की प्रकृति व लगने वाले कर्मचारियों की अनुमानित संख्या का ज्ञान हो सके।
16. सुपरवाइजरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समय निर्धारित संख्या में सफाई का स्टॉफ विठ्ठि में उपस्थित रहे।
17. निविदाकर्ता ऐसे कर्मचारियों को बदलने के लिये बाध्य होगा जिनका कार्य/बर्ताव/स्वारक्ष्य/आदतें सही नहीं पाई जाती हैं।
18. आकस्मिक दुर्घटना/धन—जन हानि/अन्य आपदा इत्यादि की स्थिति में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदाकर्ताओं/ठेकेदारों को समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा।
19. वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट नाम सहित तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
20. कर्मचारी स्वारक्ष्य परीक्षण कराने एवं उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही कार्य पर लगाये जायेंगे। यह निविदाकार की जवाबदेही होगी।
21. निविदाकर्ता को सभी कर्मचारियों का संपूर्ण बायोडाटा विठ्ठि को उपलब्ध कराना होगा।
22. किसी भी दिन निर्धारित संख्या से 2 प्रतिशत से अधिक सफाई कर्मी अनुपस्थित नहीं रहेंगे। अन्यथा हर व्यक्ति के नाम से रु. 100 प्रति दिन दण्ड राशि वेतन से कटौती की जावेगी। आवश्यकता होने पर आपातकाल में अतिरिक्त कर्मियों की तत्काल व्यवस्था निविदाकार के द्वारा करना अनिवार्य होगा।
23. विश्वविद्यालय का यह अधिकार सुरक्षित है कि समस्त कार्य हेतु ठेका एक ही अथवा विभिन्न ऐजेन्सियों को पृथक—पृथक आबंटित करें।
24. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा। डाक में होने वाले विलंब के लिये विश्वविद्यालय जवाबदेह नहीं होगा।
25. निविदाकर्ता अपने स्वयं के साधनों/उपकरणों से उक्त सफाई कार्य संपादित करेंगे।
26. निविदाकर्ता को उसके द्वारा उपयोग किये जाने वाले समस्त स्वच्छता उपकरणों की सूची प्रदान करनी होगी।
27. ओटोमेटिक मशीन द्वारा सफाई कार्य करने के लिये अपनी दरें पृथक से प्रस्तुत करें।
28. साफ—सफाई उपरांत कचरे को नगर—निगम के कूड़ा घर तक भिजवाने का कार्य भी निविदाकर्ता को ही करना पड़ेगा।

29. सफाई उपकरण / सामाग्री जैसे फिनाईल, झाड़ू इत्यादि की व्यवस्था भी एजेन्सी करेगी और इसके लिये कितनी राशि अतिरिक्त भुगतान करनी होगी इसका विवरण पृथक से किया जाये।
30. निविदाकर्ता के पास कम से कम पाँच स्वच्छता निरीक्षक व्यवसायिक योग्यता उपाधि सहित होने चाहिये।
31. सफाई कार्य हेतु यदि किसी फर्म की निविदा स्वीकृत की जाती है लेकिन सामग्री क्रय हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दरें अन्य फर्मों के द्वारा प्रस्तुत दरें निविदा स्वीकृत दरों की तुलना में कम है तो ऐसी फर्म को अन्य फर्मों द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दरों पर सफाई सामाग्री आपूर्ति कर कार्य सम्पादित करना होगा।

## दर अनुसूची

महोदय,

01. आपके द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छता व्यवस्था संबंधी निविदा क्रमांक ..... /भण्डार/ 2012/ बिलासपुर दिनांक ..... के अनुसार समाचार पत्रों में निविदा प्रसारित किया गया है। मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार दरें प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दरें सभी प्रकार के शुल्क सहित हैं।
02. मेरे/हमारे द्वारा अमानत राशि रु. 75,000/- (पचहत्तर हजार) बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक ..... बैंक के माध्यम से जमा किया गया है, जो इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया गया है।
03. मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार दर भरा जा रहा है :—

क्र.	स्वच्छता कार्य का पदनाम	दर प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह (अंको में)	दर प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह (शब्दों में)
01.	हाउस कीपर/सफाई कर्मी	रु. .....	रु. .....
02.	सुपरवाईजर	रु. .....	रु. .....
03.	स्वच्छता अधिकारी	रु. .....	रु. .....

मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दरें निविदा के नियम व शर्तों के अनुसार भरा गया है, जो समय—समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये Labour Laws & Rules के अनुसार प्रदत्त सभी सुविधाएँ के पालन सहित हैं।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर .....

फर्म का नाम .....

पता .....

.....

फोन नं. .....

ई—मेल एड्रेस .....

फर्म का सील/स्टाम्प .....

## सफाई सामग्रियों की दरें

1

क्र.	समाग्री का नाम	मात्रा	दर
1.	फूल झाडू	प्रति नग	
2.	जाला झाडू	प्रति नग	
3.	खराटा झाडू	प्रति नग	
4.	फिनाइल	प्रति लिटर	
5.	इण्डिका	प्रति लिटर	
6.	एसिड	प्रति लिटर	
7.	वाईपर – बड़ा	प्रति नग	
8.	टायलेट ब्रश	प्रति नग	
9.	वाशिंग ब्रश	प्रति नग	
10.	पोंछा – बड़ा – 10 मी. कपड़े का	प्रति नग	
11.	पोंछा – छोटा	प्रति नग	
12.	नेफथलिन गोली	प्रति किलो	
13.	Washing Powder	प्रति किलो	
14.	प्लास्टिक बाल्टी – 12 ली. सेलो/पूजा	प्रति नग	
15.	प्लास्टिक मग – 1 ली. सेलो/पूजा	प्रति नग	
16.	प्लास्टिक डस्टबीन – 60 ली. सेलो/पूजा	प्रति नग	
17.	प्लास्टिक डस्टबीन – 5 ली. सेलो/पूजा	प्रति नग	
18.	प्लास्टिक डस्टबीन – 40 ली. सेलो/पूजा	प्रति नग	
19.	सुपली	प्रति नग	
20.	फावड़ा	प्रति नग	
21.	तार – चोक खोलने हेतु	प्रति फीट	
22.	बांस	प्रति नग	
23.	हार्पिक – 500 मिली	प्रति नग	
24.	कोलीन	प्रति नग	
25.	हीट लिविंग / हीट स्प्रे	प्रति नग	
26.	साबुन लाईफबाय – 100 ग्राम	प्रति नग	
27.	ब्लीचिंग पाउडर	प्रति किलो	
28.	बेगान स्प्रे	प्रति नग	
29.	रुम फ्रेशनर	प्रति नग	

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत की गई सफाई सामग्रियों की दरें सभी प्रकार के देय टैक्स सहित हैं।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

फर्म का नाम

पता

फोन नं.

फर्म का सील/स्टाम्प



## **GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)**

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)

### **स्वच्छता ठेके की 'तर्ते :-**

01. शासकीय / अर्द्धशासकीय शैक्षणिक / चिकित्सा संस्थानों के अनुभवी स्वच्छता एजेन्सी को प्राथमिकता दी जावेगी ।
02. स्वच्छता ठेका एक वर्ष की अवधि हेतु दिया जावेगा । विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार तीन माह या अधिक समय के लिये इन्हीं स्वीकृत दर एवं शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी ।
03. स्वच्छता ठेकेदार / एजेन्सी सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परिसर व इसके सभी भवनों एवं कार्यालयीन संपत्ति की दिन-रात स्वच्छता व्यवस्था राउण्ड दी क्लाक की जावेगी ।
04. स्वच्छता एजेन्सी स्वयं के व्यय से स्वच्छता, कर्मचारियों को वर्दी/प्रोटेक्टिव गारमेंट एवं परिचय पत्र उपलब्ध करायेगी, ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो ।
05. स्वच्छता एजेन्सी द्वारा प्रत्येक शिफ्ट में स्वच्छता कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर रखे जावेंगे जो कि विश्वविद्यालय या उसके प्रतिनिधि को आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किया जावेगा ।
06. स्वच्छता एजेन्सी नियोजित कर्मियों का उपस्थिति पत्रक प्रबंधन प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के साथ देयक पॉच तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करेगी ।
07. यदि एजेन्सी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन का अथवा किसी कर्मचारियों को वेतन न मिलने की शिकायत प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कर्मी को ठेकेदार की ओर से, सीधा भुगतान कर दिया जायेगा एवं एजेन्सी से उक्त राशि वसूल की जायेगी । इसी प्रकार श्रम कानूनों के अंतर्गत एजेन्सी द्वारा निर्धारित औपचारिकाताएँ पूर्ण न किये जाने की दशा में प्रबंधन द्वारा उक्त राशि जमा कर दी जायेगी एवं उसकी वसूली एजेन्सी से की जायेगी ।
08. दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष सामान्य दशा में एक माह की पूर्व सूचना देकर स्वच्छता ठेका समाप्त कर सकता है परन्तु स्वच्छता एजेन्सी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन एवं चूक करने की दशा में विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि जांच के पश्चात स्वच्छता ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी ।
09. ठेके के दौरान स्वच्छता एजेन्सी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वच्छता एजेन्सी में कार्य पर नहीं ले सकेगी ।
10. स्वच्छता एजेन्सी को स्वच्छता कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व प्रबंधन से अनुमति लेना आवश्यक होगा । किसी भी स्वच्छता कर्मी के आचरण / व्यवहार में शंका पाये जाने पर अथवा प्रबंधन द्वारा सूचना दिये जाने पर, एजेन्सी द्वारा तत्काल उक्त कर्मी को हटा दिया जायेगा ।

11. स्वच्छता एजेन्सी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान एवं नियमानुसार एलाउन्स देगी। ये भुगतान श्रमायुक्त/जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगें।
12. स्वच्छता एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा कि वह लागू होने वाले समस्त श्रम कानूनों जैसे—श्रम संविदा अधिनियम, ई.पी.एफ. अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों का स्वच्छता कर्मचारियों के लिये पालन करें।
13. यदि संबंधित अधिनियम के उल्लंघन बाबत विश्वविद्यालय प्रबंधन को कोई नोटिस प्राप्त होता है एवं कोई आर्थिक दण्ड निर्धारित किया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वे स्वच्छता एजेन्सी को किये जाने वाले भुगतान से इस प्रकार की क्षति को समायोजित किया जावेगा।
14. स्वच्छता एजेन्सी के कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की यूनियन की गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।
15. विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा समय—समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं स्वच्छता व्यवस्था के लिये प्रभावी कदम उठाने के लिये स्वच्छता एजेन्सी उत्तरदायी होगी।
16. स्वच्छता एजेन्सी प्रबंधन की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार समय प्रबंधन एवं आफिस रिकार्ड आदि रखने के लिये उत्तरदायी होगी।
17. स्वच्छता एजेन्सी को श्रम संविदा अधिनियम 1970 के अंतर्गत श्रम विभाग से लायसेंस प्राप्त कर विश्वविद्यालय प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा।
18. स्वच्छता एजेन्सी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन को स्वच्छता ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा।
19. विश्वविद्यालय प्रबंधन को अनुबंध की शर्तों को संशोधित करने, निरस्त करने एवं नई शर्तों को जोड़ने का अधिकार होगा। इसके लिये बिना कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना स्वच्छता एजेन्सी को दी जावेगी।
20. स्वच्छता एजेन्सी को अपने कर्मचारियों के लिए हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा उनका व्यवस्थित रिकार्ड एजेन्सी को स्वयं ही रखना होगा। जिसकी एक प्रति भुगतान देयक के साथ कार्यालय में जमा करवानी होगी। श्रम निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित रिकार्ड चेक कराने होंगे।
21. विश्वविद्यालय प्रबंधन के परिसर में धूम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्रबंधन को स्वविवेक से स्वच्छता एजेन्सी पर जुर्माना करने का अधिकार होगा।
22. स्वच्छता एजेन्सी अपने कर्मचारियों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई. कटौती अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका सम्पूर्ण अधिकार एवं रिकार्ड एजेन्सी द्वारा स्वयं रखा जावेगा तथा सत्यापन हेतु रिकार्ड प्रबंधन को प्रस्तुत किया जावेगा।
23. स्वच्छता कर्मियों की संख्या प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जावेगी। यह संख्या प्रबंधन द्वारा स्वविवेकानुसार समय—समय पर घटाई—बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में स्वच्छता कर्मियों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है :—

पद	संख्या
स्वच्छता अधिकारी	01
स्वच्छता पर्यवेक्षक	05
हाउस कीपर/ सफाई कर्मी	कार्य की आवश्यकतानुसार लगाया जावेगा।

24. यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन एवं स्वच्छता एजेन्सी के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो माननीय कुलपति, गुरु धासीदास विश्वविद्यालय को पंच निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। माननीय कुलपति द्वारा दिया गया निर्णय स्वच्छता एजेन्सी एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन को मान्य एवं निर्णयकारी होगा।
25. समस्त विवाद बिलासपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही निपटाये जावेगें।
26. निविदाकर्ता अपनी दरें संलग्न प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें जिसमें सर्विस चार्ज आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
27. स्वच्छता एजेन्सी द्वारा स्वच्छता व्यवस्था लगातार “शिफ्ट राउन्ड दी क्लॉक” की जावेगी तथा एजेन्सी विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की स्वच्छता के प्रति जवाबदार रहेगी।
28. यदि एजेन्सी की लापरवाही से ऐसी कोई घटना-घटित होती है जिसमें प्रबंधन पक्ष को कोई हानि हुई तो उक्त की वसूली प्रबंधन द्वारा एजेन्सी के देयक/प्रतिभूति राशि से की जावेगी।
29. प्रबंधन द्वारा दिये गये निर्देशों, समय-सारिणी एवं निर्धारित स्थल पर एजेन्सी को स्वच्छता कर्मी पदस्थ करना अनिवार्य होगा।
30. एजेन्सी द्वारा नियोजित स्वच्छता कर्मियों को यूनिफार्म, फोटो पहचान पत्र इत्यादि आवश्यक रूप से प्रदान की जायेगी, जिसका भुगतान एजेन्सी द्वारा ही किया जायेगा विश्वविद्यालय द्वारा इसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
31. एजेन्सी को कांट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एवं एबोलिशन एक्ट के अंतर्गत लायसेंस प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा एवं एजेन्सी को कांट्रैक्ट लेबर एक्ट, पी.एफ. एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस एक्ट एवं लागू होने वाले अन्य समस्त श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। संबंधित श्रम निरीक्षक/फैक्ट्री इंस्पेक्टर/पी.एफ. निरीक्षक द्वारा समय-समय पर मांगे गये रिकार्ड का अवलोकन करना अनिवार्य होगा। यदि एजेन्सी इन नियमों के अंतर्गत प्रावधानों का पालन करने में असफल रहती है, तो ऐसी दशा में प्रधान नियोक्ता के नाते प्रबंधन द्वारा एजेन्सी पर की गई पेनाल्टी शासकीय खाते में जमा कर दी जायेगी। जिसकी वसूली एजेन्सी के देयक राशि/प्रतिभूति राशि से की जायेगी।
32. एजेन्सी को रिकार्ड एवं अन्य रजिस्टर अपने स्वयं के व्यय पर व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु प्रबंधन द्वारा कोई लिपिक/अतिरिक्त भुगतान नहीं कराया जावेगा।

33. एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा नियोजित कर्मी पूर्ण मुस्तैदी से एवं जागरुकता से कार्य संपादित करें तथा पूर्ण अनुशासित रहें। कर्मचारियों द्वारा झ्यूटी सजगता से न किये जाने की दशा में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा उपरोक्त पेनाल्टी एजेन्सी से की जायेगी। इस संबंध में माननीय कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।
34. एजेन्सी द्वारा असंतोषप्रद कार्य किये जाने पर अथवा अनुबंध की कंडिकाओं का उल्लंघन किये जाने पर अथवा लगातार लापरवाहीपूर्वक कार्य किये जाने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रकरण के गुण—दोष को ध्यान रखते हुये एजेन्सी की सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी तथा एजेन्सी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जायेगी अथवा एक माह का नोटिस देकर यह ठेका समाप्त कर दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि राजसात कर लिया जायेगा। इस संबंध में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।
35. कोई भी स्वच्छता कर्मी द्वारा उपरोक्त शर्तों की किसी भी कंडिका का उल्लंघन का दोषी पाया गया तो तत्काल विश्वविद्यालय परिसर में उसका प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकेगा, जो एजेन्सी पर बंधनकारी होगा।

कुलसचिव (कार्यवाहक)  
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,  
बिलासपुर (छ.ग.)



## **GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)**

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)

### **कार्य का विवरण**

#### **UP Keeping work-**

01. विभिन्नों के सभी भवनों (शैक्षणिक विभागों/प्रयोगशालाओं/भंडार गृहों/बालक-बालिका छात्रावास/फारेस्ट्री हॉस्टल/कुलसचिव निवास स्थित बालक छात्रावास/अतिथि गृह/आडिटोरियम भवन/प्रशासनिक भवन आदि का झाड़ू/पोछा एवं शौचालयों की साफ—सफाई।
02. विभिन्नों के फर्नीचर, फोन, खिड़की, दरवाजों, संकेत चिन्हों की साफ—सफाई।
03. आवश्यकता पड़ने पर दीवालों से जाले निकालना।
04. विभिन्नों की छतों की सफाई/परिसर की सड़कों एवं सड़कों के आस—पास की सफाई।  
यह सभी कार्य प्रतिदिन सुबह 10.30 बजे के पूर्व पूर्ण कराया जाना है।

#### **Toilet cleaning work-**

01. सभी टायलेट/बाथरूम की सफाई करना।
02. बाथरूमों की नालियों, सीवर पाइप, सेप्टीक टैंक आदि की साफ—सफाई करना।
03. बाथरूमों की सफाई दिन में दो बार कराई जानी है। प्रातः 9.00 बजे तथा दोपहर 2.00 बजे।

#### **Garden maintainance work-**

विभिन्नों सड़कों/बाग—बगीचों एवं विभिन्नों में स्थित अन्य प्रशासनिक—शैक्षणिक इकाईयों के परिसर एवं आवासीय परिसरों के आसपास उगी हुई घास/खरपतवार, जंगली झाड़ियों की कटाई—सफाई आदि कार्य समय—समय पर आवश्यकतानुसार करना।

#### **Garbage disposal work-**

साफ—सफाई के बाद कचरे को उचित स्थान पर इकट्ठा करके उसे नजदीकी नगर—पालिका कूड़ेदान तक पहुँचाना अथवा सुरक्षित विधि से निष्पादित किया जाना।